


गौतम उमवाल बनाम तहसीलदार बाली

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>24/5/24</p>	<p>पगावली उच्चतरी अपीलका अपीलानुसार बहाल हुती गरी अपीलका अपीलानुसार ते अपील बहाल हे अपील के तर्कों को केंद्रित कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई लाक्षणिक जवाब का अवनत उत्तर दिए सीधे बेतकती के परिचय जारी कर दिए हैं। अतः उच्चतरी अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश फिल्टर कर अपीलानुसार के सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाते हेतु पगावली रिमाण्ड की जाय।</p> <p>पगावली पर उपलब्ध अपील, अतः केन्द्रित अधीनस्थ न्यायालय की पगावली स्थिति का गहनता से अवलोकन किया कि अपीलानुसार पगावली कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलानुसार के जो तैरिफ दिया उनकी तारीख अपीलानुसार के नहीं करवाई अपीलानुसार के इलाक़ा को तैरिफ नहीं है तत्पश्चात भी पचासी 21.6.22 को सीधे बेतकती आदेश पारित कर दिए आदेशिका पर भी दिए ने अपीलानुसार स्वीकार किया कि के इलाक़ा है। स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलानुसार के विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपीलानुसार अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय दि 21.6.22 को फिल्टर कर उच्चतरी द्वारा बेग को इन तर्कों के तान उचित ही जाती है कि अपीलानुसार के विधिवत सुनवाई, जवाब, लाक्षणिक अवनत उत्तर करते हुए न्यायिक निर्णय करें। निर्णय पुनः जमाने पगावली के तान शुभार होकर तब के कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेफरु कापत निम्नानुसार जाय।</p> <p style="text-align: center;">  24/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली </p>	